SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDUR CODE. 1898

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण कमांक 120/2017

Name and address of the complain म0प्र0 शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला प्रशासन भिण्ड म0प्र0

name, parentage, caste and address of accused

1. रामनिवास पुत्र रामसिंह जमादार निवासी वार्ड क0 17 कीरतपुरा थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0

The offence complained of, and date of its alleged commission

यह कि आपने दिनांक 06/07/17 को गोहद चौराहा थाने के सामने भिण्ड ग्वालियर हाइवे रोड पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.30 बी.ए. 1762 को शराब के नशे की हालत में चलाया?

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 185 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करो अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हो।

The plea of the accused and bis examination [if any]--<u>आरोपी का अभिवाक्</u>

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the offence has been committed

//निर्णय// (आज दिनांक 10/07/17 को घोषित किया गया)

- अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 185 मोटरयान अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर 1. तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त / अभियुक्तगण ने स्वेच्छापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
- अभियुक्त / अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के 2. की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त धरा 185 मोटरयान अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 185 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1500 / – रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
- अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 10 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे। 3.
- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाइकिल कमांक एम.पी.30. बी.ए.. 1762 उसके पंजीकृत स्वामी को वापिस की जाये।

स्थान-गोहद

दिनांक- 10/07/17

निर्णय आज दिनांकित एवं

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

जेएमएफसी गोहद

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

(प्रतिष्ठा अवस्थी)